बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक

www.bankofbaroda.co.in

प्रधान कार्यालय, माण्डवी, बड़ौदा

कार्पोरेट कार्यालय: बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर, मुंबई, सी–26, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व) मुंबई 400 051

असाधारण सामान्य बैठक (ईजीएम) और रिमोट ई–वोटिंग नोटिस

बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर्स एवं बैठक) विनियमन, 1998 के विनियमन 12, और 56 (आई) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुसरण मे एतद्द्वारा **सूचित किया जाता है** कि बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक **शुक्रवार, 22 दिसंबर, 2017 को प्रात: 10.00 बजे सर सयाजीराव नगरगृह, वडोदरा महानगर सेवा सदन, टी.पी. –1, एफ.पी. 547/1, जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा– 390020** में आयोजित की जाएगी जिसमें व्यवसाय का संचालन जो दिनांक 14.11.2017 की बैठक की नोटिस मे निहित विषयवस्तु अर्थात सामान्य व्यवसाय –1) बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) के शर्तो के अनुपालन में, भारत सरकार के अतिरिक्त, बैंक के शेयरधारकों के बीच में से दो निदेशकों का चयन.

शेयरधारकों को आगे सूचित किया जाता है कि:

1. पात्र शेयरधारकों को एजीएम नोटिस रजिस्टर्ड डाक/ ईमेल द्वारा पहले ही प्रेषित कर दिया गया है. इसकी प्रति बैंक की वेबसाइट अर्थात् **www.bankofbaroda.co.in** एवं ई वोटिंग एजेंसी की वेबसाइट अर्थात् **https://evoting.karvy.com** पर उपलब्ध है.

2. लागू नियमों/ विनिमयों के अनुसार बैंक शेयरधारकों को नोटिस में उल्लेखित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रुप में वोट डालने के लिए रिमोट ई–वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराता है जिसके लिए बैंक ने कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड का ई–वोटिंग एजेंसी के रुप में चयन किया है.

3. रिमोट ई–वोटिंग अवधि मंगलवार 19 दिसंबर, 2017 को प्रात: 9 बजे शुरु होगी एवं गुरुवार 21 दिसंबर, 2017 को पूरे दिन शाम 5 बजे तक जारी रहेगी. निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं होगी. निर्दिष्ट तारीख 24 नवंबर, 2017 होगी एवं बैंक के शेयरधारक जिनके पास निर्दिष्ट तारीख में भौतिक अथवा अभौतिक रुप में शेयर हैं, केवल वे ही इस रिमोट ई–वोटिंग (युआरएल **https://evoting.karvy.com** पर लॉग इन द्वारा)/ बैठक में वोटिंग सुविधा का लाभ उठा सकते हैं.

4. बैठक में बैंक कार्यसूची की मदों पर वोटिंग भी कराएगा. शेयरधारक जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग प्रक्रिया में भाग नहीं लिया है वे ईजीएम में वोटिंग में भाग ले सकते हैं, जिन शेयरधारकों ने ई–वोटिंग के माध्यम से वोट दे दिया है वे बैठक में भाग ले सकते हैं पर दोबारा वोट देने के लिए पात्र नहीं होंगे.

5. यदि कोई व्यक्ति ईजीएम नोटिस प्रेषण के बाद परंतु चुनाव/ ई वोटिंग की उल्लेखित/ निर्दिष्ट तारीख अर्थात 24 नवंबर, 2017 को या उससे पहले बैंक का शेयरधारक बना है तो वह ई–मेल आईडी **evoting@karvy.com** पर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए कार्वी को अनुरोध भेज सकता है. जिन नए शेयरधारकों की ई–मेल आईडी उनके डीमेट खाते में उपलब्ध होगी, कार्वी उन्हें यूजर आईडी और पासवर्ड प्रेषित करने के प्रयास करेगा.

6. यदि चुनाव सम्पन्न होता है तो, रिमोट ई–वोटिंग एवं बैंठक की वोटिंग के समेकित परिणाम दो दिनों के भीतर बैंक और कार्वी की वेबसाइट पर घोषित किए जाएंगे और इसकी सूचना स्टॉक एक्सचेंज को भी दी जाएगी.

7. रिमोट ई–वोटिंग के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत होने के मामले में शेयरधारक अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) तथा ई–वोटिंग यूजर मैनुअल https://evoting.karvy.com के डाउनलोड विभाग में उपलब्ध है, से संदर्भ ग्रहण कर सकते हैं तथा या श्री एस वी राजू उमप्र, कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि (यूनिट– बैंक ऑफ़ बड़ौदा), कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32, गचिबावली, फायनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुड़ा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद– 500 032 या **raju.sv@karvy.com** फोन नं 040 6716 2222 या 1800345 4001 (टॉल फ्री) पर संपर्क कर सकते हैं.

कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा
–हस्ता/–
पी.एस. जयकुमार
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई
दिनांक : 22 नवंबर, 2017

76/17-18